न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2023-285 RAAJodhpur2023-153RTA223 Ganpatsingh ors Vs Kuldeepsingh etc

01. गणपतसिंह पुत्र सुमेरसिंह उर्फ सिमरथसिंह
02. प्रेमसिंह पुत्र सुमेरसिंह उर्फ सिमरथसिंह
जातियान् राजपूत, निवासीगण- रड़ौद, तहसील भोपालगढ, जिला जोधपुर।

--- अपीलाण्ट्स

ब

न

म

1. कुलदीपसिंह पुत्र हड़मानसिंह कथित पुत्र आनन्दसिंह(वाद पत्र में वर्णित अनुसार) जाति राजपूत, निवासी- रड़ौद, तहसील भोपालगढ, जिला जोधपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भोपालगढ, जिला जोधपुर।

--- रेस्पोडेण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28 जुलाई 2023 राजस्व वाद संख्या 92/2023 कुलदीपसिंह बनाम तहसीलदार भोपालगढ

--- 0 ---

उपस्थित -
श्री रोशनलाल, अधिवक्ता अपीलांट्स
श्री सत्यनारायण राजपुरोहित, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 01
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 02

नि र्ण य

दिनांक : 12 दिसंबर 2024

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ द्वारा राजस्व वाद संख्या 92/2023 कुलदीपसिंह बनाम तहसीलदार भोपालगढ में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28 जुलाई 2023 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 04 अगस्त 2023 को पेश की गयी है।

अपीलांट्स द्वारा अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र बाबत अनुमंति करने अपील प्रस्तुत कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान किये जाने का निवेदन किया गया।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी/रेस्पोडेंट संख्या एक ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 1128, 901, 903, 905/1 कुल रकबा 4.7186 हैक्टेयर व खसरा नं. 902 रकबा 3.2294 हैक्टैयर के संबंध में एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि वादग्रस्त आराजी वादी की माता पारस कंवर के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। वादी की माता का दिनांक 21.05.2023 को स्वर्गवास हो चुका है। वादी स्व. पारस कंवर का एकमात्र प्रथम श्रेणी वारिस एवं जायंदा पुत्र है। इसके अलावा कोई अन्य वारिस नहीं है। वादी द्वारा प्रतिवादी के समक्ष फौतेदगी नामांतरकरण हेतु आवेदन पेश किया, किंतु प्रतिवादी द्वारा टालमटोल किये जाने पर वाद प्रस्तुत किया गया। वादी द्वारा वादग्रस्त आराजी में खातेदार घोषित किये जाने का अनुतोष चाहा। विचारण न्यायालय द्वारा वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किये जाने निवेदन किया गया। दिनांक 17.07.2023 को प्रार्थी/अपीलांट्स की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10(2)सीपीसी प्रस्तुत कर पक्षकार बनने का निवेदन किया। विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 24.07.2023 को उक्त प्रार्थना पत्र खारिज कर वादी की साक्ष्य लेकर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.07.2023 के

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जरिये वाद स्वीकार कर लिया गया, जिसके विरुद्ध आलोच्य अपील प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलाण्ड्स ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादी स्व. आनन्दसिंह एवं पारस कंवर का पुत्र नहीं है बल्कि वह हड़मानसिंह पुत्र कानसिंह का पुत्र है। उसने गलत तथ्यों के साथ वाद पेश किया। वास्तविकता यह है कि स्व. आनन्दसिंह को कोई पुत्र पैदा ही नहीं हुआ एव न ही उन्होंने किसी को गोद लिया है। वादी ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर अपने आपको आनन्दसिंह का पुत्र बताया है। आनन्दसिंह का स्वर्गवास सम्वतः 2040 में हो गया एवं वादी का जन्म ही हड़मानसिंह के घर में संवतः 2040 के बहुत बाद हुआ है जो स्वयं वादी के आधार कार्ड एवं अन्य सरकारी दस्तावेजो से साबित है। इस प्रकार वादी ने कपटपूर्ण कार्यवाही करते हुए स्वयं को स्व. आनन्दसिंह का पुत्र बताकर वाद पेश किया है। अपीलार्थीगणों को जब वादी द्वारा प्रस्तुत दावे की जानकारी हुई तो उन्होंने तुरन्त ही विचारण न्यायालय के समक्ष वाद में पक्षकार बनने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया, ताकि उन्हें पक्षकार बनाने पर वे वाद पत्रावली पर सही तथ्य प्रकट करते, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने आनन-फानन में उस प्रार्थना पत्र को दिनांक 24.07.2023 को खारिज किया एवं उसके साथ ही उसी दिन वादी की शहादत दर्ज करते हुए पत्रावली में अंतिम सुनवाई करना बता दिया तथा दिनांक 28.07.2023 को वाद अंतिम निर्णय कर दिया जो कार्यवाही निश्चित तौर पर कानून एवं न्यायिक प्रक्रिया का बेजा दुरुपयोग करने के समान है। यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत पक्षकार बनने के आवेदन को विचारण न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिये जाने पर उस आदेश के विरुद्ध चाराजोही किये जाने हेतु भी अवसर नही

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

दिया गया। वाद पत्रावली के अवलोकन मात्र से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने तमाम कार्यवाही बहुत जल्दबाजी में की है एवं वाद को मात्र 28 दिन की समय अवधि में निर्णित करते हुए वादी को विवादग्रस्त आराजी का खातेदार घोषित कर दिया एव अप्रत्यक्ष रूप से बिना किसी वैध हस्तांतरण पत्र के वादी को खातेदारी अधिकारों की डिक्री के जरिये हस्तांतरण कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने वादी की जिस शहादमत को आधार मानकर उसका दावा डिक्री किया है वह शहादत न तो प्रदर्शित है एवं न उस शहादत से वादी को कोई टेनेन्सी अधिकार अर्जित होना माना जा सकता है, बल्कि वादी द्वारा प्रस्तुत तमाम शहादत झूठ का पुलिन्दा है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री अपास्त योग्य है।

प्रार्थना पत्र बाबत अनुमति करने अपील पर अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि वादी ने बाला-बाला कार्यवाही करते हुए स्वयं को स्व. आनन्दसिंह का पुत्र बताकर विवादग्रस्त आराजी की खातेदारी प्राप्त कर ली है। अपीलांट्स द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष पक्षकार बनने हेतु आवेदन किया, किंतु विचारण न्यायालय द्वारा आवेदन खारिज कर दिया गया। वादी स्व. आनन्दसिंह का गोद पुत्र नहीं है। अपीलांट्स स्व. आनन्दसिंह के द्वितीय श्रेणी के वारिस है, जिनके अधिकारों पर अपीलाधीन डिक्री से कुठाराघात हुआ है। इसलिए अपीलांट्स अपील प्रस्तुत करने के अधिकारी है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र बाबत अनुमति करने अपील स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28 जूलाई 2023 को

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

निरस्त किया जावे एवं वादी का वाद खारिज किया जावे एवं विकल्प में अपीलार्थीगण को पक्षकार स्थापित करते हुए वाद पत्रावली को अधीनस्थ न्यायालय में इन दिश निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जावे कि वे सभी पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए बाद शहादत वाद में गुणागुण पर निर्णय पारित करे।

जवाब में रेस्पोडेंट संख्या एक के अधिवक्ता ने अपीलांट्स के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेंट संख्या एक स्व. आनन्दसिंह एवं स्व. पारस कंवर का गोद पुत्र है, जिसकी ताईद पटवारी हल्का की रिपोर्ट से होती है। वादी की माता पारस कंवर द्वारा अपने बचत खातों में भी वादी को अपना पुत्र बताकर नॉमीनी बनाया है। अपीलांट प्रेमसिंह द्वारा दिनांक 11.07.2024 को शपथ-पत्र निष्पादित कर यह स्वीकार किया है कि पारस कंवर धर्मपत्नी आनन्दसिंह ने अपने जीवनकाल में हनुमानसिंह के पुत्र कुलदीप सिंह को गोद लिया, उस समय कुलदीप सिंह की उम्र 3 वर्ष थी तथा गांव में गोद लेने की रस्म हुई थी तथा गोद व पाठ पर बिठाकर कुलदीप सिंह के तिलक लगवाया गया था, गुड़ बाटा गया तथा कुलदीप सिंह को पारस कंवर के गोद पुत्र के रूप में स्वीकृत कर दिया गया। अपीलांट प्रेमसिंह द्वारा उक्त शपथ-पत्र में यह भी स्वीकार किया गया है कि पारस कंवर के देहांत के पश्चात उक्त संपति का एकमात्र खातेदार मालिक रेस्पोडेंट कुलदीप सिंह ही है। इसलिए सहायक कलक्टर भोपालगढ द्वारा राजस्व वाद संख्या 92/2023 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.07.2023 को मैं सही होना स्वीकार करता हूँ। इस निर्णय बाबत मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैने राजस्व अपील प्राधिकारी में जो अपील की है, वह मैं विड्रो कर लूंगा। ऐसी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

स्थिति में उक्त शपथ-पत्र निष्पादित किये जाने के बाद अपीलांट हस्तगत अपील प्रस्तुत करने का अधिकारी ही नहीं ठहरता है। रेस्पोडेंट संख्या एक स्व. आनन्दसिंह एवं स्व. पारस कंवर का प्रथम श्रेणी वारिस होने से अपीलांट को वादग्रस्त आराजी में किसी प्रकार के हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। तहसीलदार भोपालगढ द्वारा भी वादी के वाद का विरोध नहीं किया गया है। यह उल्लेखनीय है कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सीपीसी खारिज किये जाने पर अपीलांट्स की ओर से उक्त आदेश के विरुद्ध कोई चाराजोही नहीं की है। अपीलांट्स द्वारा कथन किया गया है कि वादी हड़मानसिंह का पुत्र है, किंतु इस संबंध में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य यथा- हनुमानसिंह की भूमि में वादी का नाम इत्यादि पेश नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स विचारण न्यायालय के समक्ष पक्षकार संयोजित नही होने तथा अपीलांट प्रेमसिंह द्वारा निष्पादित शपथ-पत्र में रेस्पोडेंट संख्या एक को स्व. आनन्दसिंह एवं स्व. पारस कंवर का गोद पुत्र स्वीकार किये जाने से अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री से अपीलांट्स के हित किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होते है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अपील अनुमति बाधित एवं गुणावगुण पर सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किया जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत अवलोकन किया गया। विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख जन्म प्रमाण-पत्र, पेन कार्ड,

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

ड्राईविंग लाईसेंस, उच्च माध्यमिक परीक्षा की अंकतालिका, विद्युत बिल, माध्यमिक परीक्षा के प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण, आधार कार्ड की इत्यादि की फोटो प्रतियों में रेस्पोडेंट संख्या एक के पिता का नाम आनन्द सिंह एवं माता का नाम पारस कंवर दर्ज है। स्व. पारस कंवर के बैंक ऑफ बड़ौदा के खाता संख्या 95290100006382 एवं स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के खाता संख्या 35768224951 में भी रेस्पोडेंट संख्या एक कुलदीप सिंह बतौर पुत्र नॉमिनी दर्ज है। तहसीलदार भोपालगढ द्वारा वाद का प्रतिकार नहीं किये जाने से विचारण न्यायालय द्वारा उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर वाद स्वीकार कर वादी को वादग्रस्त आराजी का खातेदार घोषित किया जाना पाया जाता है।

पत्रावली पर उपलब्ध शपथ-पत्र दिनांक 11.07.2023 के मुताबिक अपीलांट प्रेमसिंह पुत्र सुमेरसिंह उर्फ सिमरथ सिंह द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 1128, 901, 903, 905/1 कुल रकबा 4.7186 हैक्टेयर भूमि आनन्दसिंह जी की खातेदारी की भूमि थी। आनन्दसिंह के देहांत के बाद उक्त आराजी स्व. पारस कंवर के नाम दर्ज हुई है। **पारस कंवर ने अपने जीवन काल में हनुमानसिंह के पुत्र कुलदीप सिंह को गोद लिया, उस समय कुलदीप सिंह की उम्र 3 वर्ष थी।** अपीलांट प्रेमसिंह द्वारा यह भी स्वीकार किया गया है कि **विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री से सहमत हू तथा उक्त निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत हस्तगत अपील को विड्रो कर लूंगा।** पटवारी हल्का रड़ौद की जांच रिपोर्ट दिनांक 18.07.2023 में भी रेस्पोडेंट कुलदीपसिंह को स्व. पारस कंवर द्वारा गोद लिया जाना बताया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स द्वारा रेस्पोडेंट संख्या एक को स्व. पारस कंवर का गोद पुत्र स्वीकार कर लिये

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जाने से रेस्पोडेंट संख्या एक कुलदीप सिंह स्व. पारस कंवर एवं स्व. आनन्दसिंह का प्रथम श्रेणी वारिस होने से अपीलांट्स जो स्वयं को स्व. पारस कंवर के द्वितीय श्रेणी के वारिस बताते है, उनका वादग्रस्त आराजी में कोई हक व अधिकार उत्पन्न नहीं होता है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स हस्तगत अपील प्रस्तुत करने के अधिकारी भी नहीं ठहरते है।

जहां तक अपीलांट्स का उज्र है कि विचारण न्यायालय में वादी द्वारा दस्तावेज प्रदर्श नहीं करवाये गये। इस संबंध में वादी कुलदीप सिंह द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र में जमाबंदी संवतः 2075-2078 प्रदर्श-1, जमाबंदी संवतः 2075-2078 प्रदर्श-2, राजस्व नक्शा प्रदर्श-3 से 7, ग्राम पंचायत द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र प्रदर्श-8, पेनकार्ड की प्रति प्रदर्श-9, ड्राईविंग लाईसेंस की प्रति प्रदर्श-10, अंकतालिका की प्रति प्रदर्श-11 व 12, विद्युत बिल की प्रति प्रदर्श-13 मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति प्रदर्श-14 मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रति प्रदर्श-15 तथा आधार कार्ड की प्रति प्रदर्श-16 के रूप में दस्तावेज प्रदर्शित करवाने हेतु प्रस्तुत किये है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स का उक्त उज्र स्वीकार योग्य नहीं है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों एवं राजकीय पैरोकार की स्वीकारोक्ति के परिप्रेक्ष्य में विधिसम्मत निर्णय एवं डिक्री पारित किये जाने से अदालत हाजा की राय में अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील अनुमति बाधित एवं गुणावगुण पर सारहीन पाये जाने से स्वीकार किये जाने योग्य नहीं ठहरती है। लिहाजा अपील अपीलांट्स खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 92/2023 अनवान कुलदीपसिंह बनाम तहसीलदार भोपालगढ में पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28 जुलाई 2024 यथावत रखे जाते है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

डिक्री बसीगे अपील

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

बइजलास श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2023-285 RAAJodhpur2023-153RTA223 Ganpatsingh ors Vs Kuldeepsingh etc

अपीलाण्ट		रेस्पोडेण्ट
01. गणपतसिंह पुत्र सुमेरसिंह उर्फ सिमरथसिंह 02. प्रेमसिंह पुत्र सुमेरसिंह उर्फ सिमरथसिंह जातियान् राजपूत, निवासीगण- रड़ौद, तहसील भोपालगढ, जिला जोधपुर।	ब ना म	1. कुलदीपसिंह पुत्र हड़मानसिंह कथित पुत्र आनन्दसिंह (वाद पत्र में वर्णित अनुसार) जाति राजपूत, निवासी- रड़ौद, तहसील भोपालगढ, जिला जोधपुर। 2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भोपालगढ, जिला जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28 जुलाई 2023 राजस्व वाद संख्या 92/2023 कुलदीपसिंह बनाम तहसीलदार भोपालगढ

--- 0 ---

दावा बाबत

यह अपील बतारीख 12 दिसंबर 2024 बहाजरी अधिवक्ता श्री रोशनलाल मिनजानिब अपीलाण्ट, श्री सत्यनारायण राजपुरोहित अधिवक्ता रेस्पो. एवं श्री दयाराम चौधरी राजकीय अधिवक्ता उपस्थित होकर हुक्म हुआ कि अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील अनुमति बाधित एवं गुणावगुण पर सारहीन पाये जाने से स्वीकार किये जाने योग्य नहीं ठहरती है। लिहाजा अपील अपीलांट्स खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 92/2023 अनवान कुलदीपसिंह बनाम तहसीलदार भोपालगढ में पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28 जुलाई 2024 यथावत रखे जाते है। खर्चा पक्षकारान् वहन करे।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुबलिग ---00---) रूपये ------00-------- अदा करें। खर्चा मुकदमा मातहत का ----00------ अदा करें।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत हाजा तारीख 12 दिसंबर 2024 को जारी किया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

खर्चा अपील

अपीलाण्ट	राशि	रेस्पोडेण्ट	राशि
1. स्टाम्प अपील 2. स्टाम्प वकालतनाम 3. इजराय हुक्मनामा 4. वकील फीस बाबत मीजान	/	1. स्टाम्प वकलातनामा 2. स्टाम्प अर्जी 3. इजराम हुक्मनामा 4. मेहनताना वकील मीजान	/

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर